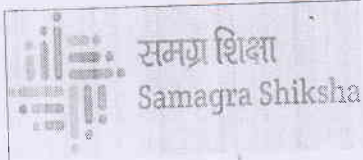


क्रमांक: RCSE/Jai/Est-I/Interview-District & Block Office/2026/05964-8900281/3018 दिनांक: 21/01/2026

विज्ञप्ति
समग्र शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में विभिन्न पदों हेतु
ऑनलाईन इन्टरव्यू

सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रधानाचार्य समकक्ष), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वयक (प्रधानाचार्य समकक्ष) एवं कार्यक्रम अधिकारी (उप प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता समकक्ष) तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय (प्रधानाचार्य समकक्ष) एवं सन्दर्भ व्यक्ति (उप प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता समकक्ष) के संभावित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् कार्यालय द्वारा ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु ऑन लाईन आवेदन दिनांक 9.2.2026 से 13.2.2026 (रात्रि 12.00 बजे) तक आमंत्रित किये जाएंगे। इसके लिए पदवार संभावित रिक्तियों एवं दिशा-निर्देश के विवरण को शाला दर्पण पोर्टल (<http://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in>) पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाईन साक्षात्कार की तिथि, समय व लिंक की सूचना ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये मोबाईल नम्बर के Text Msg एवं शाला दर्पण के स्टाफ विन्डो पर प्रेषित की जायेगी।


राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

Phone No- 0141-2711056

Website - www.rajsmsa.nic.in

Email ID- rajsmsaadm@gmail.com

क्रमांक: RCSE/Jai/Est-I/Interview-District & Block Office/2026/05964-8900281/3013 दिनांक: 21/01/2026

आवश्यक दिशा-निर्देश

(मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय एवं संदर्भ व्यक्ति के साक्षात्कार हेतु)

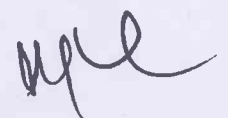
1. समग्र शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों हेतु प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों के क्रम में निम्न प्रकार योग्यता निर्धारित की गई है-
सहायक निदेशक(AD) (प्रधानाचार्य समकक्ष लेवल-16)
सहायक परियोजना समन्वयक(APC) (प्रधानाचार्य समकक्ष लेवल-16)
कार्यक्रम अधिकारी(PO) (उप प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता समकक्ष लेवल-14/12)
अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय (ACBEO-II)(प्रधानाचार्य समकक्ष लेवल-16)
संदर्भ व्यक्ति (RP) (उप प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता/व्याख्याता समकक्ष लेवल-14/12)
साक्षात्कार आयोजित किये जाने वाले रिक्त पदों का विवरण एवं साक्षात्कार से संबंधित अन्य जानकारी शाला दर्पण पोर्टल (<http://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in>) से ली जा सकती है।
2. सभी पदों हेतु आवेदन राजस्थान शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल के स्टॉफ विन्डो के माध्यम से स्वयं की लॉगिन आई-डी से ऑनलाईन किया जाना है।
3. आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र-10 (P-10) से ली जायेगी, अतः आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र-10 (P-10) (यथा मोबाइल नम्बर, ई-मेल, व्यक्तिगत सूचना, शैक्षणिक योग्यता एवं श्रेणी) का अद्यतन (Update) किया जाना सुनिश्चित करें। पंजीकरण उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
4. आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन भरे जाने पर आवेदन को निरस्त (Delete) कर अंतिम तिथि व समय से पूर्व पुनः आवेदन किया जा सकता है।
5. आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र भरते समय यह सुनिश्चित कर ले की कोई तथ्य छिपाया गया नहीं है। गलत सूचना भरे जाने पर आवेदन को निरस्त करते हुए मूल विभाग को संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा जावेगा।
6. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन दिनांक 09.02.2026 से 13.02.2026 को रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकते हैं। (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा)
7. उक्त संबंधित पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी/वृद्धि करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के अधीन सुरक्षित रहेगा।
8. विज्ञप्ति में प्रकाशित सभी पद प्रतिनियुक्ति के हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, साक्षरता एवं सतत शिक्षा आदि) में कार्यरत कार्मिकों से भरे जायेंगे।
9. समग्र शिक्षा में पदस्थापित कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम एक वर्ष का होगा, जिसे नियमानुसार अधिकतम चार वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा ("राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क")। लेकिन प्रतिनियुक्त कार्मिक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर या प्रशासनिक कारणों से अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान कार्मिक द्वारा स्वेच्छा से मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किये जाने के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण 2011 सेवा के तहत कार्यरत कार्मिक आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
11. वेतन एवं भत्ते चयनित आशार्थियों को उनके वर्तमान वेतन श्रृंखला पद के ही देय होंगे।

aple

12. अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की उपशमन अवधि (cooling off period) होनी चाहिए।
13. माननीय न्यायालय के आदेश के अध्याधीन कार्यरत कार्मिकों के पद विरुद्ध चयन प्रक्रिया नहीं की जायेगी।
14. अभ्यर्थी के विरुद्ध विभाग में वर्तमान में कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच प्रस्तावित/लम्बित हो अथवा जिन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत किसी भी प्रकार से दण्डित किया हो, वे पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे।
15. साक्षात्कार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में दर्शाये गये समस्त मूल दस्तावेज संबंधित कार्यालय में कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
16. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर मेट्रोपालिटन के न्यायिक क्षेत्र में होगा।
17. आवेदनकर्ता की दिनांक 31.12.2025 को आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. सभी पदों हेतु अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।
19. प्रतिनियुक्त कार्मिक को सेवानिवृत्ति तिथि से 03 माह पूर्व ही मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।
20. परीक्षा काल (Probation Period) में कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
21. उच्च पे-लेवल धारित कार्मिक द्वारा निम्न पे-लेवल पद हेतु आवेदन किया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त माना जावेगा।
22. आवेदक किसी भी कारण से साक्षात्कार में भाग लेने से वंचित रह जाता है तो उसे पुनः साक्षात्कार हेतु अवसर नहीं दिया जावेगा।
23. राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अथवा पदस्थापन की प्रतीक्षा वाले कार्मिकों को शाला दर्पण के स्टॉफ लॉगिन के माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदान की जावेगी।
24. महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (MGGS) एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों (SVGMS) में 3 वर्ष अथवा अधिक के अनुभव प्राप्त प्रतिनियुक्त कार्मिक साक्षात्कार के लिए आवेदन के पात्र होंगे।
25. चयनित आशार्थियों को यदि प्रतिनियुक्ति काल के दौरान विभागीय पदोन्नति का लाभ मिलता है तो उसे परियोजना में प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाकर मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।
26. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित इच्छित जिला/ब्लॉक के अतिरिक्त परियोजना हित में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।
27. आवेदन कर्ता आवेदित पदों में से सिर्फ एक ही पद हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे।
28. प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार समकक्ष अन्य पदों पर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है।

विशेष निर्देश:-

1. साक्षात्कार Microsoft Team के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किये जायेंगे।
2. समस्त अभ्यर्थी अपने लैपटॉप/डेस्कटॉप/मोबाइल में Microsoft Team सॉफ्टवेयर/एप इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित कर ले कि डेस्कटॉप एवं लैपटॉप में आवश्यक उपकरण जैसे-कैमरा तथा ऑडियो डिवाइस (माइक एवं स्पीकर) हो व अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय ईयर फोन व माइक का उपयोग करें।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वह ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर्याप्त इन्टरनेट स्पीड, विद्युत सप्लाई (पॉवर बैंकअप) एवं पर्याप्त रोशनी हो। उक्त व्यवस्थाओं से आश्वस्त होकर अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार किसी भी स्थान से साक्षात्कार दे सकता है।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को सौम्य एवं शालीन वेशभूषा में अनुशासित ढंग से ही साक्षात्कार पैनल के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित होना होगा।
5. ध्यान रहे कि अभ्यर्थी का कैमरा चेहरे पर ही स्थिर रहे एवं फ्रेम अन्यत्र विस्थापित नहीं होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी को जब तक पैनल द्वारा ऑनलाईन कनेक्ट न किया जाये, वह अपना कैमरा, माइक, स्पीकर आदि को बंद रखें।
7. साक्षात्कार पैनल द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही अभ्यर्थी वर्चुअल साक्षात्कार रूम में प्रवेश करेगा। अतः समस्त अभ्यर्थी संयम रखें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।



8. अभ्यर्थी जहाँ से इंटरव्यू दे रहा है वहाँ आसपास किसी प्रकार की तेज आवाज व व्यवधान नहीं हो, यह सुनिश्चित कर लें।
9. अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर (कार्मिक की प्रपत्र-10 में अंकित)/स्टाफ विन्डो पर साक्षात्कार दिनांक, स्लॉट, समय विवरण और संबंधित पैनल रूम का लिंक Text Message द्वारा भेज दिया जाएगा। अतः अपना स्टॉफ विन्डो/मोबाईल में Text Message चैक करते रहें।
10. अभ्यर्थी का जो नाम आवेदन पत्र में होगा उसी नाम से माइक्रोसाफ्ट टीम एप में अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अभ्यर्थी जब वर्चुअल साक्षात्कार रूम में प्रवेश करें तो अभ्यर्थी का नाम माइक्रोसाफ्ट टीम एप में दिखाई देना चाहिए।
11. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के साथ/पास कोई अन्य सदस्य नहीं होना चाहिए।
12. साक्षात्कार से पूर्व, दौरान एवं पश्चात् अभ्यर्थी साक्षात्कार प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी/कार्मिक/साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य को प्रभावित करने का अनुचित प्रयास नहीं करें।


राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त